	CENTRAL ELECTRIC REGULATORY COMM Stall Floor, Chanderlok Build Janpath, New Delhi 110001, Phone: Fax: 23753923, Website : www.cer tion No. 114/TL/2024	23353503, विकास ind.gov.in सन्द्रमेव जयते Dated: 30.4.2024
An (the 10( Lin 11( "Tr: Raj Ow	<b>DTICE UNDER CLAUSE (a) OF SUB</b> <b>SECTION 15 OFTHE ELECTRICIT</b> application under Sections 14 and 15of the e Act) has been made by Sikar Khetri Trai % wholly owned subsidiary of Power Grid ited), B-9, Qutab Institutional Area, Katwa 016, to establish the Inter-State tran ansmission system for evacuation of plasthan (20GW) under Phase-III Part D – m, Operate and Transfer basis (hereinaft iject") consisting of the following elements:	Y ACT, 2003 e Electricity Act, 2003 nsmission Limited, (A d Corporation of India aria Sarai, New Delhi- smission system for power from REZ in Phase I" on a Build, er referred to as "the
S. No	Name of the Transmission Element	Scheduled COD in months from Effective Date
<u>1.</u> 2.	Sikar-II – Khetri 765 kV D/c line Sikar-II - Narela 765 kV D/c line along with 240 MVAr Switchable line reactor for each circuit at each end of Sikar-II - Narela 765kV D/c line Switching equipment for 765 kV 240 MVAR switchable line reactor - 4 nos. 240 MVAr, 765kV Switchable line reactor - 4 nos.	18
3.	765kV line bays at Sikar -II for Sikar-II – Khetri 765 kV D/c line and Sikar-II - Narela 765 kV D/c line 765 kV Dine bays- 4 nos	
4.		
	te: Developer of Sikar-II S/s to provide space line bays at Sikar-II S/s along with sp switchable line reactors. Developer of Narela S/s to provide space fo bays along with space for switchable line re Power Grid to provide space for two nos. Khetri substation.	ace for two nos. of or 2 nos. of 765 kV line eactors at Narela S/s.
2.	The Central Transmission Utility of India dated 19.3.2024 has recommended transmission licence to the applicant to extransmission system.	for the grant of a
3.	Based on the material available on the red vide order dated 29.4.2024 in Petition N proposed to issue a transmission licence establishment of the transmission schem above.	lo. 114/TL/2024, has to the applicant for
4.	A copy of the application, along with enclosures, made by the applicant for the transmission licence to Sikar Khetri Transm the Commission can be accesse www.powergrid.in/subsidiaries or inspe-	grant of an inter-State hission Limited before d at the website ected by any person in
5.	the Commission's office by following the lai Notice is hereby given in pursuance of cla (5) of Section 15 of the Act that suggestion to the Commission's proposal to grant a tr the applicant, as aforesaid, be sent to <b>17.5.2024</b> at the above noted address. objections received after the specified considered.	use (a) of sub-section s or objections, if any, ansmission licence to the undersigned by The suggestions or date shall not be
6.	The application shall be taken up for the the Commission on <b>22.5.2024</b> . Any person whe objections may in his/her discretion attend no TA/DA shall be paid by the Commission. (Harp	o files suggestions or the hearing, for which

Secretary

गम-किर्रा परगना व तहसील खुजी की लगभग 32.775 हेक्टेयर भूमि ग्रेगिक परियोजना को खुर्जा महायोजना–2031 (प्रारूप) में समायोजित/ गया है। संशोधित खुर्जा महायोजना-2031 (प्रारूप) में समायोजित/ ाग पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस तक जन सामान्य से ामंत्रित किये जाते हैं। बुलन्दशहर एवं खुर्जा विकासक्षेत्र के समस्त जन विभाग/अर्धसरद, री विभाग/गैर सरकारी विभाग/स्थानीय निकायों जाता है कि उक्त अवधि में खुर्जा महायोजना संशोधित प्रारूप–2031 के गयोजित/सम्मिलित भाग पर अपने बहुमूल्य सुझाव/आपत्ति सचिव, धेकरण को (दो प्रतियों में) प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त सुझावों/ वार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझाव/आपत्तियों की ा समिति द्वारा की जायेगी तथा इसके उपरान्त खुर्जा महायोजना–2031 देया जायेगा

दिनांक : 26.04.2024

स्थान : गाज़ियाबाद

## परिशिष्ट IV-A

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

(एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के नियमों को पढते हुए एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ग्रीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई- नीलामी बिक्री सूचना।

नता को और विशेष रूप से उघारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया न्नवर्णित अचल संपति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिंस पर अधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड [CIN: PLC136029] (''सुरक्षित लेनदार द्वारा'') द्वारा रचनात्मक कब्जा लिया जा चुक हो शाम 04.00 बजे से 05.00 बजे तक ''जहां है'', ''जैसा है'', और ''जो कुछ भी लिए ऋण खाता नं. HHLRHN00287931 के लिए रु. 22,14,128/- (रुपए बाईस एक सौ अट्टाईस मात्र) के लिए 26.04.2024 तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब ौर ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी व्यय और अन्य खर्चों के साथ 27.04.2024 से प्रभावी जो ऋतुराज सिंह और सुमन लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा ।

ोलामी के लिए आरक्षित मूल्य रू. 23,60,000/- (रुपए तेईस लाख साठ हजार मात्र) मनी डिपॉजिट (''ईएमडी'') रु. 2,36,000/- (रुपए दो लाख छत्तीस हजार मात्र) र के 10% के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन 3/14, क्षेत्रफल 86.04 वर्ग मीटर, पहली मंजिल पर, सपना-टाइप-02, मंडोला स्थत, सेक्टर-05, सहारनपुर रोड, गाज़ियाबाद - 201102, उत्तर प्रदेश। रेस्तृत नियमों और शतों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी ndiabulishomeloans.com देखें, संपर्क का नंबर: 0124-6910910, 101aunisiciliauaissonii (च) sinhelpline@indiabulls.com"। 065451024 : ई–मेल आईडी: auctionhelpline@indiabulls.com"। बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें सही/ ्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड 2024 गद मेटेड adhar दर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं Housing Finance Ltd योजना नंबर 3, आई.एस. 190 शास्त्री नगर, मेरठ - 250002, (उ.प्र.) परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू) ाधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ स्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना सफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ

के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ भूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लेए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के र में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि ग्वहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क

र संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
। शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर तरा नंबर 174 ग्राम अलीपुरा जिजमाना त्तरप्रदेश, 250001 अन्य का प्लाट, पश्चिम- मौलाना का फिटचौड़ी सड़क, दक्षिण-अन्य काखेत	11-04-2023	02-05-2024
	<ul> <li>प्राधिकृत अधिक र हाउसिंग फाइने</li> </ul>	

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग an Elia तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, वेबसाइट: www.cercind.gov.in याचिका सं.114/टीएल/2024 दिनांक: 30.04.2024 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस सीकर खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड, (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्णतः स्वामित्व वाली समनुषंगी), बी–9, कुतब इंस्टीट्यूश्नल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेस–III भाग डी\_फेस । के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है: प्रमावी तारीख से मास क्रम पारेषण घटक का नाम में अनुसूचित सीओडी सं. 1. सीकर–॥ – खेत्री 765 केवी डी / सी लाइन सीकर–॥ – नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिएं 240 18 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ सीकर–II – नरेला 765 केवी डी / सी लाइन 765 केवी 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इविवयमेंट - 4 नंबर 240 एमवीएआर, 765 केवी रिवचेबल लाइन रिएक्टर - 4 नंबर सीकर–॥ – खेत्री 765 केवी डी/सी लाइन और सीकर–॥ – नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के 3. लिए सीकर—॥ पर 765 केवी लाइन बे 765 केवी लाइन बे - 4 नंबर खेत्री और नरेला एस/एस दोनों पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर 4 765 केवी लाइन बे – 4 नंबर नोटः सीकर-11 एस/एस का विकासकर्ता, स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के दो नंबर के (1) लिए स्थान के साथ सीकर-।। एस / एस पर 765 केवी लाइन बे के 4 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा। नरेला एस/एस का विकासकर्ता, नरेला एस/एस पर रिवचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्थान के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान (ii) प्रदान करेगा। (iii) पावर ग्रिड, खेत्री सबस्टेशन पर 765 केवी लाइन बे के दो नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 19.3.2024 के 2. अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 114/टीएल/2024 में दिनांक 29.4.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 3. में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है। सीकर खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुझप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है। नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुझप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 17.5.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा दिनांक 22.5.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह

सह।/-प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए हस्ता/ (हरप्रीत सिंह प्रथी)

सचिव

IN THE COURT OF SH. SANJAY SHARMA- II, DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL COURT)- 11, ROOM NO. 310, TIS HAZARI COURT, DELHI ICICI BANK LTD. DINESH KUMAR CASE NO. CS (COMM)/1812/2020 DINESH KUMAR S/O SH. GHEESA RAM **RESIDENCE-CUM-OFFICE** A. J. ENTERPRISES (PROPRIETOR) H. NO. A 23, BALBIR NAGAR, KIRARI SULEMAN NAGAR, NEAR FURNITURE MARKET, PANWARI WALI GALI, NORTHE WEST DELHI- 110 086 M-9312353671 EMAIL ID-DINESHJ11720@GMAIL.COM WHEREAS above named Plaintiff has instituted a suit related to commercial dispute against you and you are hereby summoned to file a written statement within 30 days of the service of the present summons. You shall also file an Affidavit of Admission denial of documents filed by the plaintiff along with Written Statement as per the provision of order 11 Rule 4 per the provision of order 11 Rule 4 schedule of the Commercial Courts Act, 2015, and in case you fail to file the written statement properly verified as per order 6 Rule 15A along with affidavit of Admission and Denial within the prescribed period of 30 days, you shall give reasons in writing and thereupon you may be allowed to file written statement on such other day, as may be specified by the court, for reasons to be recorded in writing and an power of earch writing and on payment of such costs as the sts as the court deems fit, but which shall not be later than 120 days from the date of service of summons, if you failed to the written statement within time fixed by the court, you shall forfeit the right to file the written statement and the court shall not allow the written statement to be taken on record.

ATTENDANCE OF DEFENDANT (Order V, Rule 20 of The Code of Civil Procedure)

एव गय

गर

2 2 2

9 व री

श रं

के

र्ल

You are required to appear in this court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to suit, or who shall be accompanied by by some person able to answer all such questions, on 21.05.2024 in the forenoon, to answer the claim; and further you are hereby directed to produce on the said day all documents in your the said day all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set-off, or counter-claim you shall enter such documents in a list or be a annexed to the written to be annexed to the written statement.

Take notice that, in default of your appearance on that day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, on this seal of the 29.04.2024.

District Judge (Commercial Court)- 11, Tis Hazari Court,

## 2102/4- 210121 03-05-2024

आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।